कार्यालय–नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1165 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 15 दिसम्बर, 2025.

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलैर–काण्डोई–मदर्सू मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.61 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/126434/2021)**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/126/2021/एफ.सी./1454 दिनांक 30.01.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र दिनांक 30.01.2023 के द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र 826/12–1 दिनांक 12.09.2025 एवं पत्रांक 1550/12–1 दिनांक 02.12.2025 के द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:–

क्र0	वांछित सूचना	आख्या
1	In reply to point no. l, it is observed that CA area has now been changed. As per DSS analysis of the CA area, complete area found in MDF. Further, it is observed that the area is steep and prone to landslide hence does not seems to be suitable for plantation. State Government is requested to submit revised CA area after carrying out inspection by the DFO to avoid any further delay in the proposal.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के चयन हेतु उपजिलाधिकारी, चकराता कार्यालय के पत्रांक–568/र0का0/2024, दिनांक 21.06.2024 द्वारा ग्राम गुठाड खत बौन्दूर तहसील–चकराता के खसरा संख्या–784 क्षेत्रफल 3.529 है0 में से 3.22 है0 क्षेत्र चयनित किया गया, जिसका दिनांक 20.07.2024 को वन विभाग, राजस्व एवं लो0नि0वि0 द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। परन्तु मौके पर चयनित स्थल सी0ए0 लैंड हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। पुनः ग्राम–गुठाड में ही ग्रामवासियों की सहमति पर खसरा संख्या–2007 क्षेत्रफल 68.86 है0 में से 3.22 है0 भूमि सी0ए0 लैंड हेतु चयनित की गई। उक्त भूमि का विवरण परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया गया है। (संलग्नक–1)
2	In reply to point no. 2, detailed justification is still not found uploaded. The road is proposed on the edge of mountain. Possibilities of rolling down of muck seems unavoidable. Further the area seems connected from forest road or LVR. A detailed justification for the construction of the road is required to be submitted	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि में मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत औचित्य परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस मार्ग का संरेखण ग्राम भलेर के अन्तर्गत आने वाले समस्त मजरे (तोक/उप गांव) को अधिक से अधिक संयोजन व लाभान्वित हो सके को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। ढाल वाले स्थानों पर मार्ग निर्माण करते समय उत्सर्जित होने वाले मलवे के निस्तारण हेतु डम्पिंग स्थल चिन्हित किये गये है, जो मलवा निस्तारण हेतु वांछित मानचित्र में दर्शाये गये हैं। उक्त सभी ग्राम किसी एल0वी0आर0/वन मार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं। मार्ग का आरम्भिक बिन्दु मदर्सू को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के एच0पी0 बैंड से आरम्भ होता है, मार्ग निर्माण से पर्यावरण के किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतः दूरस्थ स्थानों पर बसे ग्राम भलेर व उसके मजरों/तोकों को जनहित में मार्ग निर्माण कर यातायात की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। (संलग्नक–2)

3	In reply to point no. 5, it is requested to upload the details of 37 trees falling in the 7 meter width which are actually required to be felled.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि आरक्षित वन क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण ऑनलाईन अपलोड किया गया है। प्रस्ताव के प्रारूप–21 में तीन कक्षों (उ0विन्हार–1बी में 20 वृक्ष, उ0विन्हार–2 में 26 वृक्ष एवं उ0विन्हार–3 में 37) कुल 83 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं तथा इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्रों में 0–10 व्यास वर्ग के 15 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार कुल 98 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
4	In reply to point no. 6, clarification about road side plantation is still not provided. which is required to be submiued.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव में पथ वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जायेगा। प्रस्ताव के सापेक्ष 3.22 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
5	The population of village 'Bhaler' is in formed as 713 whereas. as per Google Earlh image, only a few houses are visible. Either the population figure is not correct or the location of the village is marked wrongly. As per the present location, the requirement of the proposed road does not seem to be justified. State Govemment is requested to review the same and submit correct information or justification of the proposed road.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम सभा भलेर के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले मजरे (उप गांव) काण्डोई नकोड़, फारसीला, भदोगी, उदियाखेत, भायला, टापर डूंगा की जनसंख्या का प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है, बिन्हार क्षेत्र में वर्ष 1938 से बन्दोबस्त न होने से सभी मजरे राजस्व ग्राम घोषित नहीं हुये हैं, यह सभी मजरे अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र में हैं। जहां पर यातायात की कोई सुविधा नहीं है। यातायात न होने से पलायन का खतरा बना हुआ है। अतः मार्गो के संयोजन हेतु जनहित में इस मार्ग का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आपत्तियों की प्राप्त निराकरण आख्या को संस्तुति सहित इस आशय से अग्रसारित किया जा रहा है कि उपरोक्त के आलोक में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित, 2023 के अंतर्गत 1.61 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदत्त करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :– 1165 /12–1 (दे0दू0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।

(डॉ एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Phone & Fax 0135-2658294,
E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

International Year of Cooperatives 2025

कार्यालय–वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः–1550 / 12–1 दिनांक 02 दिसम्बर, 2025।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–210 / 2013 के अन्तर्गत जनपद–देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर काण्डोई मदर्स मार्ग का नवनिर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (Online Proposal No-FP / UK / ROAD / 126434 / 2021)**

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक– 754 / 12–1 दिनांक– 06 / 10 / 2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 1121 / 12–1 दिनांक– 31 / 10 / 2025 से वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम 1980 यथासंशोधित 2023 में निहित प्राविधान के बिन्दु संख्या–11 Creation of Compensatory Afforestation के आलोक में अपनी आख्या निम्न प्रकार प्रस्तुत की गई हैः–

"Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassed forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account" उपरोक्तानुसार वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम 1980 यथासंशोधित 2023 के प्राविधान अनुसार यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि या भूमि का कुछ हिस्सा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो तदोपरान्त अनुपयुक्त क्षेत्र का दो गुना क्षेत्र आरक्षित अवनत भूमि में चयन किया जायेगा।

उक्त प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण के लिए पूर्व स्थान पर राजस्व विभाग द्वारा (संलग्नक– प्रमाण पत्र के अनुसार) ग्राम– गुठाडखत बौन्दूर तहसील चकराता के खसरा संख्या– 2007 क्षेत्रफल– 68.860 है0 में से 3.220 है0 भूमि चयनित की गई है जिसका वन विभाग राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है तथा यह भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गई है।

अतः अनुरोध है कि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चयनित भूमि के अनुसार ही प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार करना चाहें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण/भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।
पंजीo संo 1071
पत्रावली 12-1
दिनांक 4-12-25

भवदीय,

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक :1550 / 12–1 ,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी को उनके कार्यालय पत्रांक– 1121 / 12–1 दिनांक– 31 / 10 / 2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

प्रभारी देहरादून
आ० का० केo।

प्र० व० सं०/ नो०
3-12-25

D:\f\Phone\letter from 09-09-2025.doc

E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

(प्रपत्र–43)

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.6100 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित होनी प्रस्तावित है। प्रत्यावर्तित होने वाली 1.610 है0 वन भूमि के बदले दुगनी अवनत भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग द्वारा ग्राम–गुठाडखत बौन्दूर तहसील चकराता जिला–देहरादून के खसरा सं0–2007 क्षेत्रफल–68.860 है0 में से क्षे0 3.220 है0 भूमि चयनित की गई है। जिसका वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक–20.07.2024 में संयुक्त निरीक्षण किया गया है। यह क्षेत्र रिखनाड़ रेंज चकराता, वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत आता है। चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पाया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
रिखनाड़ रेंज

उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग,

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी

जय लाल शर्मा
रा0उ0नि0/थानाध्यक्ष
क्षेत्र लाखामण्डल
तह0 चकराता (दे0दून)

पंजीकृत

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमिसंरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक– 1121 /12–1,दिनांक, कालसी, 31-10-2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

दिनांक 06/11/25

विषय : **माo मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–210/2013 के अन्तर्गत जनपद–देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नवनिर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (Online Proposal No- FP/UK/ROAD/126434/2021)**

सन्दर्भ : आपके कार्यालय का आर0नं0–4686/12–1, दिनांक 17.10.2025 एवं प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–754/12–1, दिनांक 06.10.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/126434/2021 में प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि **वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम 1980 यथासंशोधित 2023** में निहित प्राविधान के बिन्दु संख्या–13 **Creation of Compensatory Afforestation** में उल्लेख किया गया है कि

"Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassed forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account" जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम 1980 यथासंशोधित 2023 के प्राविधान अनुसार यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि या भूमि का कुछ हिस्सा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो तदोपरान्त अनुपयुक्त क्षेत्र का दो गुना क्षेत्र आरक्षित अवनत भूमि में चयन किया जायेगा।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए पूर्व में चयनित भूमि के स्थान पर वर्तमान में सिविल भूमि ही चयनित की गयी है। चयनित भूमि आरक्षित अवनत वन भूमि न होने के कारण उक्त के सापेक्ष दो गुनी भूमि लिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः महोदय क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चयनित भूमि के अनुसार ही प्रस्ताव पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

कार्यालय वन संरक्षक शिवालिक वृत्त
पत्रावली सं0 12-1
रजिस्टर सं0 5380
दिनांक 07/11/25

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

प्रतिलिपि : प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

Survey328
Raju

वन विभाग, उत्तराखण्ड
हेल्पलाइन 1926
Phone & Fax no. 0135-2658294
E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2025 International Year of Cooperatives

पत्रांक– 826 / 12-1 दिनांक, देहरादून 12 सितम्बर, 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय : **जनपद–देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (ONLINE NO. FP/UK/ROAD/126434/2021)**

सन्दर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 126 / 2021 / एफ0सी0 / 1454। एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून का पत्रांक–2266 / 25 सी, दिनांक 06.06.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 645 / 12–1 दिनांक– 04.09.2025 द्वारा से बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रेषित की गई है–

क्र.0.	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point no. l, it is observed that CA area has now been changed. As per DSS analysis of the CA area, complete area found in MDF. Further, it is observed that the area is steep and prone to landslide hence does not seems to be suitable for plantation. State Government is requested to submit revised CA area after carrying out inspection by the DFO to avoid any further delay in the proposal.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के चयन हेतु उपजिलाधिकारी, चकराता कार्यालय के पत्रांक–568 / र0का0 / 2024, दिनांक 21.06.2024 द्वारा ग्राम गुठाड खत बौन्दूर तहसील–चकराता के खसरा संख्या–784 क्षेत्रफल 3.529 है0 में से 3.22 है0 क्षेत्र चयनित किया गया, जिसका दिनांक 20.07.2024 को वन विभाग, राजस्व एवं लो0नि0वि0 द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। परन्तु मौके पर चयनित स्थल सी0ए0 लैंड हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। पुनः ग्राम–गुठाड में ही ग्रामवासियों की सहमति पर खसरा संख्या–2007 क्षेत्रफल 68.86 है0 में से 3.22 है0 भूमि चयनित की गई। उक्त भूमि का विवरण परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया हैं।
2	In reply to point no. 2, detailed justification is still not found uploaded. The road is proposed on the edge of mountain. Possibilities of rolling down of muck seems unavoidable. Further the area seems connected from forest road or LVR. A detailed justification for the construction of the road is required to be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि में मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत औचित्य परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस मार्ग का संरेखण ग्राम भलेर के अन्तर्गत आने वाले समस्त मजरे (तोक / उप गांव) को अधिक से अधिक सँयोजन व लाभान्वित हो सके को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। ढाल वाले स्थानों पर मार्ग निर्माण करते समय उत्सर्जित होने वाले मलवे के निस्तारण हेतु डम्पिंग स्थल चिन्हित किये गये है, जो मलवा निस्तारण हेतु वांछित मानचित्र में दर्शाये गये हैं। उक्त सभी ग्राम किसी एल0वी0आर0 / वन मार्ग से नही जुडे हुए है। मार्ग का आरम्भिक बिन्दु मदर्सू को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के एच0पी0 बैंड से आरम्भ होता है, मार्ग निर्माण से पर्यावरण के किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतः दूरस्थ स्थानों पर बसे ग्राम भलेर व उसके मजरों / तोकों को जनहित में मार्ग निर्माण कर यातायात की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
3	In replies to point no. 5, it is requested to upload the details of 37 trees falling in the 7-meter width which are actually	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है। प्रस्ताव के प्रारूप–21 में तीन कक्षों (उ0विन्हार–1बी में 20 वृक्ष,

प्रभारी देहरादून
आ0 का0 केर।

प्र0 व0 सं0 नि0
16-9-25

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून
प्राप्ति सं0 ...
दिनांक 12-1 22-9-25

\f\Phone\letter from 09-09-2025.docx

क्र.0.	आपत्ति	निराकरण
	required to be felled.	उ0विन्हार–2 में 26 एवं उ0विन्हार–03 में 37 कुल 83 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्रों में 0–10 व्यास वर्ग के 15 प्रभावित होने वाले वृक्षों को जोडते हुए कुल 98 वृक्ष प्रभावित होंगे।
4	In reply to point no. 6, clarification about road side plantation is still not provided. which is required to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी के अनुसार उक्त प्रस्ताव में पथ वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जायेगा। प्रस्ताव के सापेक्ष 3.22 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। **(प्रति संलग्नक)**
5	The population of village 'Bhaler' is in formed as 713 whereas. as per Google Earlh image, only a few houses are visible. Either the population figure is not correct or the location of the village is marked wrongly. As per the present location, the requirement of the proposed road does not seem to be justified. State Government is requested to review the same and submit correct information or justification of the proposed road.	प्रस्तावक विभाग के अनुसार ग्राम सभा भलेर के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले मजरे (उप गांव) काण्डोई नकोड़, फारसीला, भदोगी, उदियाखेत, भायला, टापर डूंगा की जनसंख्या का प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है, बिन्हार क्षेत्र में वर्ष 1938 से बन्दोबस्त न होने से सभी मजरे राजस्व ग्राम घोषित नहीं हुये हैं, यह सभी मजरे अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र में हैं। जहां पर यातायात की कोई सुविधा नहीं है। यातायात न होने से पलायन का खतरा बना हुआ है। अतः मार्गों के संयोजन हेतु जनहित में इस मार्ग का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का उपरोक्तानुसार निराकरण करते हुए अनुरोध है कि कृपया प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने पर विचार करना चाहें। ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः– 826 /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी कालसी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/126/2021/एफ0सी0/1454 दिनांकः 30/01/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद – देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलैर–काण्डोई–मदर्सू मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.61 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(online no. FP/UK/Road/ 126434/2021)**

सन्दर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– **1603/FP/UK/Road/126434/2021 दिनांक 03-01-2023**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.12.2021 का उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पाई है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित बिन्दु पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :–

I. In reply to point no. 1, it is observed that CA area has now been changed. As per DSS analysis of the CA area, complete area found in MDF. Further, it is observed that the area is steep and prone to landslide hence does not seems to be suitable for plantation. State Government is requested to submit revised CA area after carrying out inspection by the DFO to avoid any further delay in the proposal.

II. In reply to point no. 2, detailed justification is still not found uploaded. The road is proposed on the edge of mountain. Possibilities of rolling down of muck seems unavoidable. Further the area seems connected from forest road or LVR. A detailed justification for the construction of the road is required to be submitted.

III. In reply to point no. 5, it is requested to upload the details of 37 trees falling in the 7meter width which are actually required to be felled.

IV. In reply to point no. 6, clarification about road side plantation is still not provided, which is required to be submitted.

V. The population of village 'Bhaler' is informed as 713 whereas, as per Google Earth image, only a few houses are visible. Either the population figure is not correct or the location of the village is marked wrongly. As per the present location, the requirement of the proposed road does not seem to be justified. State Government is requested to review the same and submit correct information or justification of the proposed road.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

Gnarwane 20.1.2023

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक– 645 /12–1, दिनांक, कालसी, 04/09/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय : **जनपद–देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (online no. FP/UK/ROAD/126434/2021)**

सन्दर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 126 / 2021 / एफ0सी0 / 1454, दिनांक 30.01.2023 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून का पत्रांक–2266 / 25 सी, दिनांक 06.06.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/126434/2021 में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्न प्रकार किया गया है–

क्र.सं.	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
1	In reply to point no. l, it is observed that CA area has now been changed. As per DSS analysis of the CA area, complete area found in MDF. Further, it is observed that the area is steep and prone to landslide hence does not seems to be suitable for plantation. State Government is requested to submit revised CA area after carrying out inspection by the DFO to avoid any further delay in the proposal.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बिन्दु संख्या–1 में लगाई आपत्ति के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि हस्तान्तरित होने वाली वन भूमि के बदले वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अन्य क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल चयन / उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, देहरादून के कार्यालय से माह अप्रैल 2023 से कई बार पत्राचार किया गया। अन्ततः उपजिलाधिकारी, चकराता कार्यालय के पत्रांक–568 / र0का0 / 2024, दिनांक 21.06.2024 द्वारा ग्राम गुठाड रवत बौन्दूर तहसील–चकराता के खसरा संख्या–784 क्षेत्रफल 3.529 है0 में से सी0ए0 लैड हेतु वांछित क्षेत्रफल 1.61 X 2 = 3.22 है0 चयनित कर प्रस्ताव खण्ड को उपलब्ध कराया गया, दिनांक 20.07.2024 में सी0ए0 लैंड हेतु अन्य चयनित क्षेत्र वन विभाग, राज्य विभाग, लो0नि0वि0 के प्रतिनिधियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, परन्तु मौके पर चयनित स्थल सी0ए0 लैंड हेतु उपयुक्त नहीं था। पुनः ग्राम–गुठाड में ही ग्रामवासियों की सहमति पर खसरा संख्या–2007 क्षेत्रफल 68.86 है0 में से 3.22 है0 भूमि सी0ए0 लैंड हेतु चयनित की गई। सी0ए0 लैंड हेतु चयनित स्थल के टोपे सीट मैप एवं जियो रिफ्रेन्सड मैप उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यलय के पत्रांक–3452 / 26सी0 दिनांक 29.08.2024 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 सैल कार्यालय, देहरादून को लिखा गया है, जिसके क्रम में वांछित मानचित्र प्राप्त कर सी0ए0 लैंड सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर फॉरेस्ट पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड कर दियें गये हैं।
2	In reply to point no. 2, detailed justification is still not found uploaded. The road is proposed on the edge of mountain. Possibilities of rolling down of muck seems unavoidable. Further the area seems connected from forest road or LVR. A detailed justification for the construction of the road is required to be submitted.	बिन्दु संख्या–2 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वन भूमि में मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत औचित्य संलग्न कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस मार्ग का संरेखण ग्राम भलेर के अन्तर्गत आने वाले समस्त मजरे (तोक / उप गांव) को अधिक से अधिक सयोजन व लाभान्वित हो सके को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। ढाल वाले स्थानों पर मार्ग निर्माण करते समय उत्सर्जित होने वाले मलवे के निस्तारण हेतु डम्पिंग स्थल चिन्हित किये गये है, जो मलवा निस्तारण हेतु वांछित मानचित्र में दर्शाये गये हैं। उक्त सभी ग्राम किसी एल0वी0आर0 के नहीं है। मार्ग का आरम्भिक बिन्दु मदर्सू को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के एच0पी0 बैंड से आरम्भ होता है. मार्ग निर्माण से पर्यावरण के किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतः दूरस्थ स्थानों पर बसे ग्राम भलेर व उसके मजरों / तोकों को जनहित में मार्ग निर्माण कर यातायात की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

कार्यालय वन संरक्षक शिवालिक वृत्त
पत्रावली सं0 ...
रजिस्टर सं0 2977
दिनांक 9-9-2025
08/09/25

Survey325
Raju

क्र.सं.	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
3	In reply to point no. 5, it is requested to upload the details of 37 trees falling in the 7 meter width which are actually required to be felled.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण ऑनलाईन अपलोड किया गया है। प्रस्ताव के प्रारूप–21 में तीन कक्षों (उ0विन्हार–1बी में 20 वृक्ष, उ0विन्हार–2 में 26 वृक्ष एवं उ0विन्हार–3 में 37 में कुल 83 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं तथा इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्रों में 0–10 व्यास वर्ग के 15 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार कुल 98 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
4	In reply to point no. 6, clarification about road side plantation is still not provided. which is required to be submiued.	उक्त प्रस्ताव में पथ वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जायेगा। प्रस्ताव के सापेक्ष 3.22 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
5	The population of village 'Bhaler' is in formed as 713 whereas. as per Google Earlh image, only a few houses are visible. Either the population figure is not correct or the location of the village is marked wrongly. As per the present location, the requirement of the proposed road does not seem to be justified. State Govemment is requested to review the same and submit correct information or justification of the proposed road.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम सभा भलेर के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले मजरे (उप गांव) काण्डोई नकोड़, फारसीला, भदोगी, उदियाखेत, भायला, टापर डूंगा की जनसंख्या का प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है, बिन्हार क्षेत्र में वर्ष 1938 से बन्दोबस्त न होने से सभी मजरे राजस्व ग्राम घोषित नहीं हुये हैं, इन सभी मजरे अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र में हैं। जहां पर यातायात की कोई सुविधा नहीं है। यातायात न होने से पलायन का खतरा बना हुआ है। अतः मार्गों के संयोजन हेतु जनहित में इस मार्ग का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त आख्या को प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वनप्रभाग,
कालसी।

प्रतिलिपि : प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वनप्रभाग,
कालसी।

Survey326
Raju

Phone :-0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand

Website-http://pwd.uk.gov.in E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक 2288 / 25 सा० दिनांक 16 / 06 / 2025

सेवा में, 2286

कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी
रजिस्टर सं0 19384
फाइल सं0 12-1
दिनांक 30/06/2025

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
कालसी।

विषय – जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–कण्डोई–मदर्सू मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online प्रस्ताव सं0 FP/UK/Road/126434/2021)

सन्दर्भ– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून कार्यालय का पत्रांक 8बी0/UCP/06/126/2021/FC/1454 दिनांक 30.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार की सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। पत्र द्वारा विषयक वन भूमि प्रकरण के सम्बन्ध में 5 बिन्दुओं पर सूचना आख्या मांगते हुये निराकरण करने हेतु लिखा गया है उपरोक्त के अनुपालन में बिन्दुवार सूचना/निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

आपत्ति संख्या	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
1	In reply to point no. I, it is observed that CA area has now been changed. As per DSS analysis of the CA area, complete area found in MDF. Further, it is observed that the area is steep and prone to landslide hence does not seems to be suitable for plantation. State Government is requested to submit revised CA area after carrying out inspection by the DFO to avoid any further delay in the proposal.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु, परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा बिन्दु सं0 1 में लगाई आपत्ति के अनुपालन में अवगत करना है कि हस्तान्तरित होने वाली वन भूमि के बदले वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अन्य क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल चयन/उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय से माह अप्रैल 2023 से कई बार पत्राचार किया गया। अन्ततः उपजिलाधिकारी चकराता कार्यालय के पत्रांक 568/एसकां0/2024 दिनांक 21.06.2024 द्वारा ग्राम गुताड रवत चौन्दूर तहसील चकराता के खसरा नं0 784 क्षे0 3.529 है0 में से सी0ए0 लैंड हेतु वांछित क्षेत्रफल 1.61X2 = 3.220 है0 चयनित कर प्रस्ताव खण्ड के उपलब्ध कराया गया. दिनांक 20.07.2024 में सी0ए0 लैंड हु अन्य चयनित क्षेत्र का वन विभाग, राज्य विभाग व लो0नि0वि0 के प्रतिनिधियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, परन्तु मौके पर चयनित स्थल सी0ए0 लैंड हेतु उपयुक्त नही था। पुनः ग्राम गुताड में ही ग्रामवासियों की सहमति पर खसरा नं0 2007 क्षे0 68.800 है0 में से 3.220 है0 भूमि सी0ए0 लैंड हेतु चयनित की गई है। सी0ए0 लैंड हेतु चयनित स्थल के टोपो सीट मैप एवं जियो रिफ्रेन्सड मैप उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3452/28सी0 दिनांक 29.08.2024 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 सेल कार्यालय देहरादून को लिखा गया है, जिसके क्रम में वांछित मानचित्र प्राप्त कर सी0ए0 लैंड सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर फोरेस्ट पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड कर दिये गये है।

D/man
अ0
D.F.O.
30/6/2025

क्रमशः 2

2	In reply to point no. 2, detailed justification is still not found uploaded. The road is proposed on the edge of mountain. Possibilities of rolling down of muck seems unavoidable. Further the area seems connected from forest road or LVR. A detailed justification for the construction of the road is required to be submitted	बिन्दु सं0 2 के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि में मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत औचित्य संलग्न कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस मार्ग का संरेखण ग्राम भलेर के अन्तर्गत आने वाले समस्त मजरे (तोक/उप गांव) को अधिक से अधिक संयोजन व लाभान्वित हो सके को दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। ढाल वाले स्थानों पर मार्ग निर्माण करते समय उत्सर्जित होने मलबे के निस्तारण हेतु डम्पिंग स्थल चिन्हित किये गये है जो मलबा निस्तारण हेतु वांछित मानचित्र में दर्शाये गये है। उक्त सभी ग्राम किसी एल0वी0आर0 से नही है। मार्ग का आरम्भिक बिन्दु मदसू को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के एन0वी0 बैंड से आरम्भ होता है, मार्ग निर्माण से पर्यावरण के किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतः दूरस्थ स्थानों पर बसे ग्राम सभा भलेर व इसके मजरो/तोकों को जनहित में मार्ग निर्माण कर यातायात की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
3	In reply to point no. 5, it is requested to upload the details of 37 trees falling in the 7meter width which are actually required to be felled.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मार्ग निर्माण से आरक्षित वन भूमि में प्रभावित होने वाले 37 वृक्षों का विवरण पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
4	In reply to point no. 6, clarification about road side plantation is still not provided. which is required to be submitted	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड द्वारा जारी किये गये मानको के अनुसार पथ वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है। पुनः अवलोकन हेतु पोर्टल पर अपलोड की जा रही है।
5	The population of village 'Bhaler' is informed as 713 whereas, as per Google Earth image, only a few houses are visible. Either the population figure is not correct or the location of the village is marked wrongly. As per the present location, the requirement of the proposed road does not seem to be justified. State Government is requested to review the same and submit correct information or justification of the proposed road.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम सभा भलेर के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले मजरे (उप गांव) काण्डोई नकोड, फारसीला, मदोगी, उदिया खेत भायला, टापर डुंगा की जनसंख्या का प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है. जिन्हार क्षेत्र में वर्ष 1938 से बन्दोबस्त न होने से सभी मजरे राजस्व ग्राम घोषित नही हुये है, इन सभी मजरे अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र में है। यहा पर यातायात की कोई सुविधा नही है यातायात न होने से पलायन का खतरा बना हुआ है। अतः मार्गों के संयोजन हेतु जनहित में इस मार्ग का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की सन्दर्भित पत्र में दर्शाई गई आपत्तियों का निराकरण कर पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड करते हुये हार्ड कापी आपके कार्यालय को प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(इ0 प्रवीण कर्णवाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

1– मा0 विधायक विकासनगर विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा भवन उत्तराखण्ड देहरादून।
2– अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
5– श्री हिमांशु नौटियाल सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।
6– खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।

Received
21/02/2025

Phone:- 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

UTTARAKHAND

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand
E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com
Website- http://pwd.uk.gov.in

दिनांक 26 / 12 / 2024

पत्रांक 5145 / 25सी0(CA LAND)

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी

कालसी भूमि सरक्षण वन प्रभाग, कालसी
रजिस्टर सं0 9127
फाइल सं0 121
दिनांक 21/02/2025

विषय – **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग के निर्माण हेतु 1.610 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व मानचित्रों को प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ – **आपके कार्यालय की पत्र सं0–568/र0का0/2024 दिनांक–21.06.2024**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा ग्राम–गुठाड़ खत बौन्दूर तहसील–चकराता परगना–जौनसार बावर जिला देहरादून के खसरा नं0–784 रकवा क्षेत्रफल 3.529 हे0 भूमि में से विषयक वन भूमि प्रकरण से सम्बन्धित 3.220 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल चयनित कर प्रस्ताव इस खण्ड को उपलब्ध कराया गया था। दिनांक–20.07.2024 में चयनित CA LAND का संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग, वन विभाग व प्रस्तावक विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। मौके पर चयनित स्थल का निरीक्षण करने पर वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा विदित कराया गया कि चयनित स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतू उपयुक्त नहीं है। ग्राम–गुठाड़ के ग्राम वासियों एवं जनप्रतिनिधियों की सहमति पर इसी ग्राम के अन्य खसरा नं0–2007 रकवा/क्षेत्रफल 68.680 हे0 में से 3.220 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल चयनित कर प्रस्तावित किया गया जो संयुक्त निरीक्षण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पाया गया है।

D/mam
DFO
21/2/25

चयनित क्षेत्र के वांछित जियोरिफेन्स मैप, टोपोसीट मैप, क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु चयनित भूमि का विवरण, सजरा मैप सहित राजस्व विभाग व प्रयोक्ता अभिकरण के मध्य क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु एग्रीमेन्ट पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर किये जा चुके है। हस्ताक्षरो के पश्चात् ही प्रस्ताव उच्चाधिकारियों के हस्ताक्षरों हेतु प्रेषित किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–गुठाड़ तहसील चकराता जिला–देहरादून में चयनित स्थल खसरा सं0–2007 रकवा 68.860 हे0 में से 3.220 हे0 से सम्बन्धित सभी प्रपत्रों, प्रमाण–पत्रों, मानचित्रों आदि को हस्ताक्षरित कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– जियोरिफ्रेन्स मानचित्र, टोपोसीट मैप, संयुक्त निरीक्षण आख्या, सजरा मैप तथा आवश्यक प्रपत्र व प्रमाण पत्र,

प्रत्येक– 2 प्रतियों में।

(इं0 प्रवीण कर्णवाल),

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।

पत्रांक /25सी0(CA LAND) दिनांक / /2024

प्रतिलिपी– जिलाधिकारी, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपी– प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, मुख्यालय – कांलसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपी– श्री हिमांशु नौटियाल, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपी– खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।

मा0 मुख्यमंत्री घोषाणा सं0–210/2013 के अन्तर्गत जनपद–देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (1.61 है0) के सापेक्ष रिखनाड राजि के अन्तर्गत ग्राम–गोठाड सिविल सोयम भूमि मे (3.22 है0) का क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन। (1100 पौध प्रति है0) रीवर राजि, चकराता वन प्रभाग, कालसी (वर्ष 2024–25)

G.P.S. N E, Height mtr

प्रथम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वे व सीमांकन	प्र0है0	309.40	3.22	996.27
2	क्षेत्र में सामान्य झाड़ी कटान	प्र0है0	3273.00	1.50	4909.50
3	अग्रिम दीवालबन्दी (फेसिंग)	प्र0है0	83660.00	3.2	269385.20
4	निरीक्षण बटिया बनाना	प्र0है0	1639.20	3.22	5278.22
5	कन्टूर फरो का कार्य (300 र0मी0 प्रति है0)	प्र0फर	171.59	250	42897.50
6	गड्ढा खुदान कार्य	प्र0गड्ढा	16.90	6440	108836.00
7	पौध की कीमत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित	प्र0 पौध	29.50	7084	208978.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र–संयत्र आदि तेज करना	प्र0है0	1497.00	3.22	4820.34
9	भूमि सरक्षण कार्य	प्र0है0	14949.10	1	14949.10
	योग–			योग–	**661050.13**

द्वितीय वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	गड्ढा भरान	प्र0गड्ढा	3.06	6440	19706.40
2	कन्टूर फर एवं बीज बुआई	प्र0फर	13.00	250	3250.00
3	पौध का रख–रखाव	प्र0पौ0	5.38	7084	38111.92
4	पौध ढुलान कार्य मय 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित 25 प्रतिशत नंगी जड़ 75 प्रतिशत बैग पौध				
	सिरबोझ नंगी जड (2 किमी0)	प्रति/सै/किमी0	27.30	1771	966.97
	खच्चरों द्वारा बैग पौध ढुलान (2 किमी0)	प्रति/सै/किमी0	163.80	5313	17405.39
	श्रमिकों द्वारा बैग पौध ढुलान (2 किमी0)	प्रति/सै/किमी0	338.00	5313	35915.88
5	नर्सरी से वनीकरण क्षेत्र तक ट्रक द्वारा ढुलान करना।				
	नंगी जड (2 किमी0)	प्रति/सै/किमी0	19.50	1771	690.69
	बैग पौध ढुलान (2 किमी0)	प्रति/सै/किमी0	464.75	5313	49384.34
6	पौध रोपण एवं थावलाबन्दी	प्र0पौ0	5.75	6440	37030.00
7	निराई गुडाई (दो बार)	प्र0पौ0	14.05	6440	90482.00
8	खाद दवा पर व्यय	प्र0पौ0	2.02	6440	13008.80
9	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0/9 माह	1285.50	3.22	37253.79
10	अन्य व्यय साईन बार्ड आदि	प्र0है0	2545.40	1	2545.40
11	ज्वलनशील पदार्थो एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	1023.03	3.22	3294.16
	योग–			योग–	**349045.73**

वन क्षेत्राधिकारी
रिखनाड रेंज, नाड़ः

तृतीय वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थो एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	1023.03	3.22	3294.16
2	निराई गुडाई व मल्चिंग कार्य	प्र0पौध	2.28	6440	14683.20
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	1285.50	3.22	49671.72
	योग–			योग–	**67649.08**

चतुर्थ वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थो एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	1023.03	3.22	3294.16
2	निराई गुडाई व मल्चिंग कार्य	प्र0है0	2.28	6440	14683.20
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	1285.50	3.22	49671.72
	योग–			योग–	**67649.08**

पंचम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थो एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	1023.03	3.22	3294.16
2	निराई गुडाई व मल्चिंग कार्य	प्र0है0	2.28	6440	14683.20
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	1285.50	3.22	49671.72
	योग–			योग–	**67649.08**

षष्टम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थो एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	1023.03	3.22	3294.16
2	निराई गुडाई व मल्चिंग कार्य	प्र0है0	2.28	6440	14683.20
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	1285.50	3.22	49671.72
	योग–			योग–	**67649.08**

सप्तम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थो एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	1023.03	3.22	3294.16
2	निराई गुडाई व मल्चिंग कार्य	प्र0है0	2.28	6440	14683.20
3	वनीकरण/क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	1285.50	3.22	49671.72
	योग–			योग–	**67649.08**

वन क्षेत्राधिकारी
[illegible]

अष्टम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थो एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	1023.03	3.22	3294.16
2	निराई गुडाई व मल्चिंग कार्य	प्र0है0	2.28	6440	14683.20
3	वनीकरण / क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	1285.50	3.22	49671.72
	योग–			योग–	**67649.08**

नवम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थो एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	1023.03	3.22	3294.16
2	निराई गुडाई व मल्चिंग कार्य	प्र0है0	2.28	6440	14683.20
3	वनीकरण / क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	1285.50	3.22	49671.72
	योग–			योग–	**67649.08**

दशम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर	मात्रा	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	6
1	ज्वलनशील पदार्थो एवं सूखे घासफूस हटाना	प्र0है0	1023.03	3.22	3294.16
2	निराई गुडाई व मल्चिंग कार्य	प्र0है0	2.28	6440	14683.20
3	वनीकरण / क्षेत्र की देख रेख व चौकीदारी	प्र0है0 (12माह)	1285.50	3.22	49671.72
	योग–			योग–	**67649.08**
					1551288.47
	मूदा एवं जल संरक्षण कार्य हेतु धनराशि (रूपये में)				**38329.00**
	सम्पूर्ण योग				**15,89,617.47**
	या	**4,93,670 x3.22 hac=**			**15,89,617.00**

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की पत्र संख्या–1459 / 3–5–2 दिनॉक 01.07.2021 से वित्तीय वर्ष 2023–24 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति ह0 रू0 4,48,791.00 निर्धारित है। वृक्षारोपण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश संख्या–एल–642 / 14–3–627 / 89 दिनॉक 30.11.1989 में उल्लेखित व्यवस्था की अनुसार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि का प्राविधान है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024–25 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0 रू0 4,93,670.00 के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी

BHULEKH Uttarakhand

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

NOTE : डाटा उपलब्ध ना हो।

ग्राम का नाम : गुठाड परगना : (जौनसार बाबर) तहसील : चकराता जनपद : देहरादून फसली वर्ष : 1429-1434 भाग : 1 खाता संख्या : 00195

1	2	3	4	5	6	7-12	13
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान			भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 5-3-क-1 / जो वन विभाग के प्रबन्ध में हो (इस में भूतपूर्वनिजी वन भी सम्मिलित है, जो वन विभाग को सौंप दियेगये)							
जगंल / /				1730	9.2600		
				1996	0.9100		
				2006	4.3400		
				2007	68.8600		
				401	2.7700		
				406	36.5300		
				407	8.6000		
				415	63.5200		
				418	8.4700		
				419	6.5100		

जयम लाल शर्मा
रा०उ०नि०/ थानाध्यक्ष
क्षेत्र सारबाभरुडल
तह० (दे०दून)
चकराता

Digital India Power To Empower

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से उद्दरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Data Updated Upto: Mon Jul 22 16:04:18 IST 2024

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चकराता/कालसी/त्यूनी, जनपद देहरादून।

पत्र संख्या 568 /र0का0/2024 दिनांक 21 जून, 2024

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0 विभाग,
देहरादून।

विषयः विधानसभा क्षेत्र विकासनगर अन्तर्गत भलेर काण्डोई–मदर्सू मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.61 X 2=3.22 है0 सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 717/1सी. दिनांक 15–02–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें वन भूमि प्रकरण में हस्तान्तरण हेतु सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में तहसीलदार चकराता से जांच करायी गयी, तहसीलदार चकराता की जांच आख्यानुसार ग्राम गुठाड खत बौन्दूर तहसील चकराता में खाली पड़ी बंजर भूमि पर वृक्षारोपण कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान के द्वारा दिनांक 25–03–2024 को प्रस्ताव पारित किया गया कि गांव के नजदीक खाली पड़ी बंजर भूमि में वृक्षारोपण किया जा सकता है। बंजर भूमि का खसरा नं0 784 रकवा (क्षेत्रफल) 3.529 है0 भूमि में से 3.220 है0 भूमि को वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया जाता है। ग्रामसभा का प्रस्ताव संलग्न है एवं प्रस्तावित भूमि को नक्शे/मानचित्र में हरे रंग से दर्शाया गया है। खसरा एवं खतौनी संलग्न है। खतौनी में खसरा नं0 784 को हाईलाईट किया गया है।

अतः तहसीलदार चकराता की जांच आख्या जिसमें खसरा सं0 784 कुल क्षेत्रफल 3.529 मध्य 3.220 है0 में वनीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी है को मूलरूप में संलग्न प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

उप जिलाधिकारी,
कालसी/चकराता/त्यूनी।
उप जिलाधिकारी
कालसी, चकराता, त्यूनी

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी,महोदया देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
कालसी/चकराता/त्यूनी।

C:\Users\HCL\Desktop\dinesh.docx

प्रेषक,

तहसीलदार
चकराता।

सेवा मे,

उप जिलाधिकारी
चकराता।

पत्र सं0:– 11 /ना0ना0/2024 दिनांक:–13 जून, 2024

विषय:– विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर काण्डोई मदर्सू मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.61×2=3.22है0सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

अधिशासी अभियन्ता नि0ख0 लोक निर्माण विभाग देहरादून के कार्यालय पत्रांक 717/1C दिनांक 15.02.2024 के क्रम मे वन भूमि प्रकरण मे हस्तान्तरण हेतु सी0ए0 लैण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे राजस्व उप निरीक्षक लाखामण्डल से जांच करायी गयी। उनके द्वारा ग्राम गुठाड खत बौन्दूर तहसील चकराता मे खाली पडी बंजर भूमि पर वृक्षा रोपण कराये जाने के सम्बन्ध मे ग्राम प्रधान के द्वारा दिनांक 25.03.2024 को प्रस्ताव पारित किया गया कि गांव के नजदीक खाली पडी बंजर भूमि मे वृक्षारोपण कियां जा सकता है। बंजर भूमि का खसरा न0 784 रकवा (क्षेत्रफल) 3.529है0 भूमि मे से 3.220है0 भूमि को वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

ग्रामसभा का प्रस्ताव संलग्न है एवं प्रस्तावित भूमि को नक्शे/मानचित्र मे हरे रंग से दर्शाया गया है। खसरा एवं खतौनी संलग्न है। खतौनी मे खसरा न0 784 को हाईलाईट किया गया है।

अतः खसरा न0 784 कुल क्षेत्रफल 3.529 मध्ये 3.220है0 में वनीकरण किये जाने की संस्तुति सहित सेवा मे प्रेषित है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

तहसीलदार
चकराता।
तहसीलदार
चकराता/कालसी/त्यूनी

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 20/07/2024 को प्रभागीय वनाधिकारी चकराता के कार्यालय पत्रांक सं० 80/12-1 दिनांक 04.07.2024 के क्रम में जनपद-देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत मलेर-काण्डोई-मदर्स मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु - 1.610 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम गुडाड के खसरा नं० 784 रकबा 3.220 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय जांच निरीक्षण में राजस्व विभाग, वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी एवं ग्राम गुडाड़ के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य-व्यक्ति उपस्थित रहे। संयुक्त निरीक्षण के दौरान पूर्व में प्रस्तावित भूमि खसरा नं० 784 में सघन वन जिसमें बांज, बुरास आदि के वृक्ष पाये गये। इसलिए उक्त प्रस्तावित स्थल को परिवर्तित करते हुए ग्राम गुडाड के भूमि खसरा नं० 2007 कुल रकबा 68.860 है० में से 3.220 है० भूमि को चयनित करके प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित भूमि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पायी गयी। ग्रामीणों के द्वारा प्रस्तावित भूमि पर अपनी सहमति प्रदान की गयी है। प्रस्तावित स्थल के शजरा मानचित्र नकल खसरा एवं खतौनी संलग्न की गयी है। तथा प्रस्तावित स्थल के कोर्डिनेट लिए गये।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में प्रेषित है।

प्रस्तावक विभाग
अनुभव गुप्ता
अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड- देहरादून

वन विभाग
(कुं० दित्त मंगाई)
वन दरोगा
रिखनाड रेंज

राजस्व विभाग
जेपी लाल शर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र .... तह० .... (देहरादून)

(सरिपाल सिंह रावत) 20/07/2024
अभीन
नि० ख० लो० नि० वि०
देहरादून

(अर्जुन सिंह रुजवाण)
अनुभाग-अधिकारी
पुनाह अनुभाग -
रिखनाड रेंज-चकराता

प्रधान ग्राम पंचायत गोडाड
विकास खण्ड चकराता (देहरादून)
ग्रामप्रधान गोडाड

-②- संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट
भलेर- काण्डोई- मदर्सू मोटर मार्ग क्षे० 1.610 हे०×2 = 3.220 हे०
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
देहरादून

जया लाल शर्मा
रा०उ०नि० / थानाध्यक्ष
क्षेत्र लाखामण्डल
तह० चकराता (दे०दून)

24/01/24
तहसीलदार
चकराता

उप जिलाधिकारी
चकराता/त्यूनी

NOTE : डाटा उपलब्ध ना हों

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : गुठाड   परगना : (जौनसार बावर)   तहसील : चकराता   जनपद : देहरादून   फसली वर्ष : 1429-1434   भाग : 1   खाता संख्या : 00195

1	2	3	4	5	6	7-12	13	
योग				10	209.7700			

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Data Updated Upto: Mon Jul 22 16:04:18 IST 2024

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

Digital India
Power To Empower

जया लाल शर्मा
रा०उ०नि०/ थानाध्यक्ष
क्षेत्र
(दे०दून)
चकराता

ख़ै ३

उद्धरण खसरा.............ग्राम गुठाड़ खत बौन्दूर तहसील चकराता जिला देहरादून सन् फसली.............

खेतों की कम सं० ग	क्षेत्रफल	खतौनी खता संख्या	खतौनी के भाग एक के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग दो के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	सिंचाई की रीति व कुऐं	कृषिक – खरीफ – फसल का नाम	खरीफ – सिं०	खरीफ – असिं०	रबी – फसल का नाम	रबी – सिं०	रबी – असिं०	जायद – फसल का नाम	जायद – सिं०	जायद – असिं०	दो फसली क्षेत्रफल – सिं०	दो फसली क्षेत्रफल – असिं०	अकृषिक भूमि का ब्यौरा – भूमि की किस्म	अकृषिक भूमि का ब्यौरा – क्षेत्रफल	प्रत्येक खेत मे पूरे बड़े हुए पेड़ों की संख्या व प्रकार	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2007	68.860	195	श्रेणी-5-3क-1	α	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

उक्त खसरा नं० 2007 रकबा 68.860 है० मे से 3.220 है० भूमि को वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

(प्रपत्र–43)

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.6100 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित होनी प्रस्तावित है। प्रत्यावर्तित होने वाली 1.610 हे0 वन भूमि के बदले दुगनी अवनत भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग द्वारा ग्राम–गुठाडखत बौन्दूर तहसील चकराता जिला–देहरादून के खसरा सं0–2007 क्षेत्रफल–68.860 हे0 में से क्षे0 3.220 हे0 भूमि चयनित की गई है। जिसका वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक–20.07.2024 में संयुक्त निरीक्षण किया गया है। यह क्षेत्र रिखनाड़ रेंज चकराता, वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत आता है। चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पाया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून
वन क्षेत्राधिकारी रिखनाड़ रेंज वन क्षेत्राधिकारी रिखनाड रेंज, नाडा	उप–प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग,	प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग,
जया लाल शर्मा रा0उ0नि0/थानाध्यक्ष क्षेत्र लाखामण्डल तह0 चकराता (दे0दून)	उप प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी उप वन प्रभाग, कालसी	प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भू0सं0 वन प्रभाग कालसी

(प्रपत्र–43 A)

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु दुगनी अवनत सिविल भूमि का विवरण

क्र0सं0	जिला	परगना	तहसील	खत	ग्राम	खाता सं0	भूमि का विवरण		
							खसरा नं0	कुल क्षेत्रफल हे0 में	वांछित क्षेत्रफल हे0 में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	देहरादून	जौनसार बावर	चकराता	बौन्दूर	गुठाड़	0195	2007	68.8600	3.2200
								योग	3.2200 हे0

उपरोक्त परियोजना हेतु 1.610 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण की एवज् में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी अवनत सिविल भूमि 3.220 हे0 ग्राम–गुठाड़ में हस्तान्तरित की जानी प्रस्तावित है।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

जया लाल शर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र लाखामण्डल
तह0 चकराता (दे0दून)

तहसीलदार,
चकराता
तहसीलदार
चकराता

उपजिलाधिकारी
चकराता/त्यूनी

क्षेत्राधिकारी
रिखनाड़ रेंज, नाडा

उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,

उपजिलाधिकारी
विकासनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता/कालसी वन प्रभाग

जिलाधिकारी,
देहरादून।

परियोजना का नामः— मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0—210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर—काण्डोई—मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु ऑनर एवं यूजर एजेन्सी के मध्य एग्रीमेन्ट

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर—काण्डोई—मदर्सू मार्ग के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरित होने वाली 1.610 हे0 वन भूमि के सापेक्ष 3.220 हे0 क्षमिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी अवनत सिविल भूमि का विवरण निम्नप्रकार हैः—

क्र0सं0	जिला	परगना	तहसील	खत	ग्राम	खाता सं0	भूमि का विवरण		
							खसरा नं0	कुल क्षेत्रफल हे0 में	वांछित क्षेत्रफल हे0 में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	देहरादून	जौनसार बावर	चकराता	बौन्दूर	गुठाड़	0195	2007	68.8600	3.220
								योग	3.220 हे0

उपरोक्त चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम—गुठाड़ की सिविल भूमि को अन्य किसी प्रयोजन हेतु आवंटित नहीं किया गया है। चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की वांछित सिविल भूमि को आवश्यकतानुसार वन विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

राजस्व उप निरीक्षक
जया लाल शर्मा
रा0उ0नि0/थानाध्यक्ष
क्षेत्र लाखामण्डल
तह0 चकराता (दे0दून)

तहसीलदार,
विकासनगर
तहसीलदार
चकराता

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
रिखनाड़ रेंज

उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,

उपजिलाधिकारी
विकासनगर
उप जिलाधिकारी
चकराता

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी वन प्रभाग

जिलाधिकारी,
देहरादून।

वन भूमि में मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत औचित्य

कार्य का नामः– **जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई मदर्सू मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.61 हे0 वन भूमि का गौर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रर्त्यावर्तन।**

पहाडों पर कालान्तर से बसे हुये सभी गांवो को सडक यातायात से जोडना राज्य सरकार की प्राथमिक्ता में है दूरस्थ बसे हुये ग्राम सभा भलेर के मजरे (तोक) काण्डोई, भदोगी, भायला, टापर डूंगा नकोड, फारसीला, उदिया खेत के ग्रामीणों को अपनी रोजमरा की वस्तुओं के लिये जंगल के रास्ते कई मील पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक पहुचकर बाजार जाना पडता है। गांवां में पर्यावरण के अनुसार सीजनली उगाये जाने वाले उत्पादों को बाजार तक बिना मार्ग के पहुचाने में परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चों को एकीकृत विद्यालय में पढने हेतु जंगली रास्तो से गुजरना पडता है। हर समय जंगली जानवरों का भय भी बना रहता है। यदि मार्ग निर्माण किया जाता है तो ग्रामीणों को लोकल में स्थाई/अस्थाई रोजगार के अवसर भी पैदा होगे।

जब कभी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डन्डी कन्डी के सहारे पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक पहुँचाया जाता है, कभी कभी मरीज रास्ते में ही दम तोड देता है।

माग्र का निर्माण पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित है। मार्ग निर्मित होने से पर्यटन की सम्भावनायें भी बढेगी तथा स्थानीय निवासियों को स्थाई रोजगार के अवसर प्राप्त होगे। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही ग्रामीणों के व्यापक हित में योजनाओं को कार्यान्वित किये जाने में सुगमता होगी।

इस मार्ग के निर्माण होने से उक्त के अलावा पहाडी क्षेत्रों में आग लग जाने पर वन विभाग के कर्मचारियों को मार्ग का उपयोग कर कम से कम समय में आग बुझाने हेतु स्थल पर पहुचने में सुगमता होगी। पहाडी क्षेत्र में से हो रहे पलायन पर रोक लगेगी तथा इस पिछडे क्षेत्र के दुर्गम स्थानों पर बसे गावो की आबादी को मुख्य द्वारा में लाने हेतु जनहित में इस मार्ग का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।

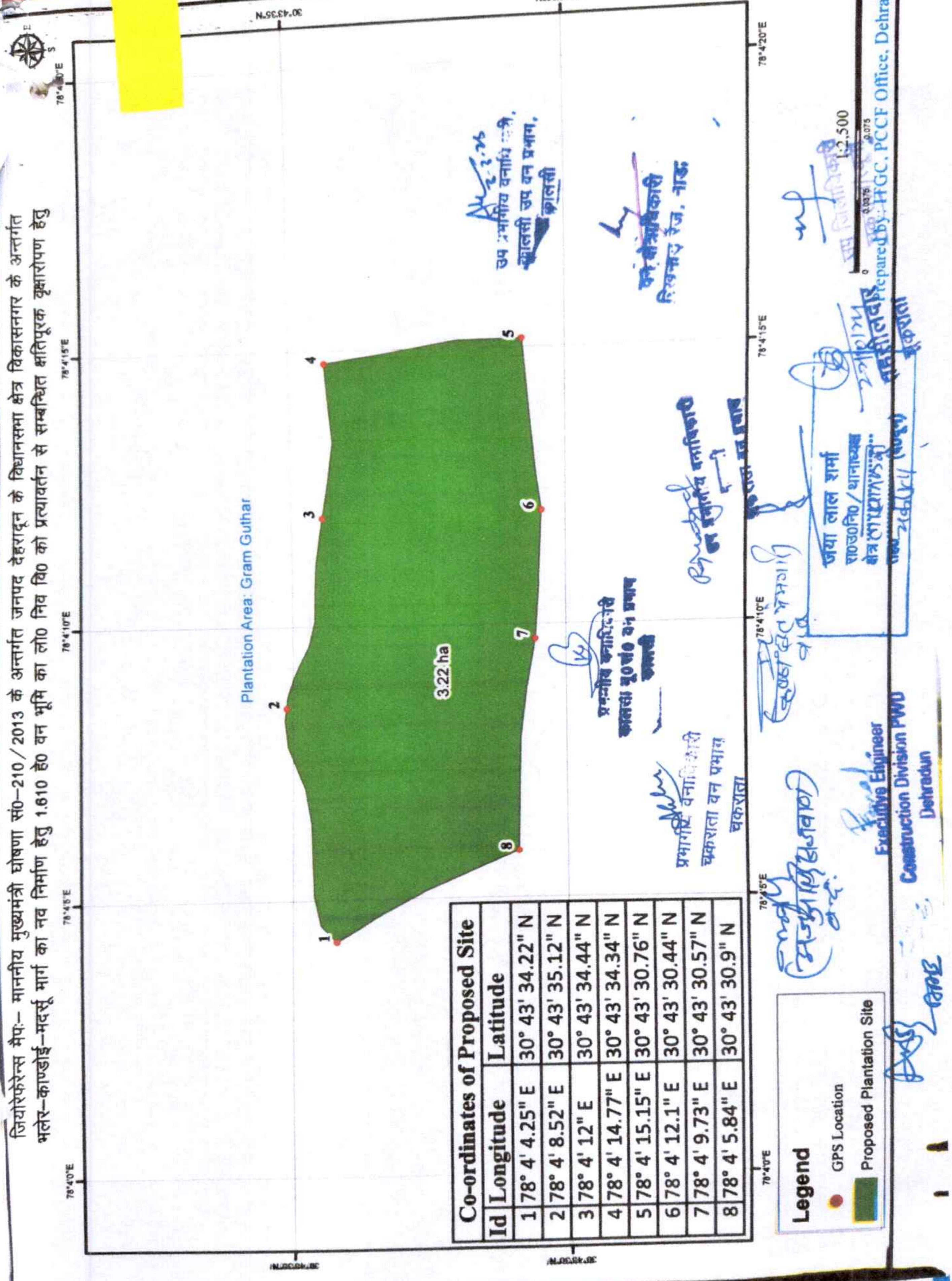

Co-ordinates of Proposed Site

Id	Longitude	Latitude
1	78° 4' 4.25" E	30° 43' 34.22" N
2	78° 4' 8.52" E	30° 43' 35.12" N
3	78° 4' 12" E	30° 43' 34.44" N
4	78° 4' 14.77" E	30° 43' 34.34" N
5	78° 4' 15.15" E	30° 43' 30.76" N
6	78° 4' 12.1" E	30° 43' 30.44" N
7	78° 4' 9.73" E	30° 43' 30.57" N
8	78° 4' 5.84" E	30° 43' 30.9" N

CA Land हेतु संयुक्त निरीक्षण दि० 20/07/2024 ग्राम - गुडाड़ तहसील- चकराता

भंडेर - काण्डीई - मदर्ड m/12

जया लाल शर्मा
रा०उ०नि०/थानाध्यक्ष
क्षेत्र लाखामण्डल
तह० चकराता (देहरादून)

(अर्जुन सिंह सजवाण)

संयुक्त निरीक्षण Report — ग्राम-कुठाड़ तह०-चकराता
मलेर-कोन्डाई-मदर्सू m/R हेतु CA Land निरीक्षण

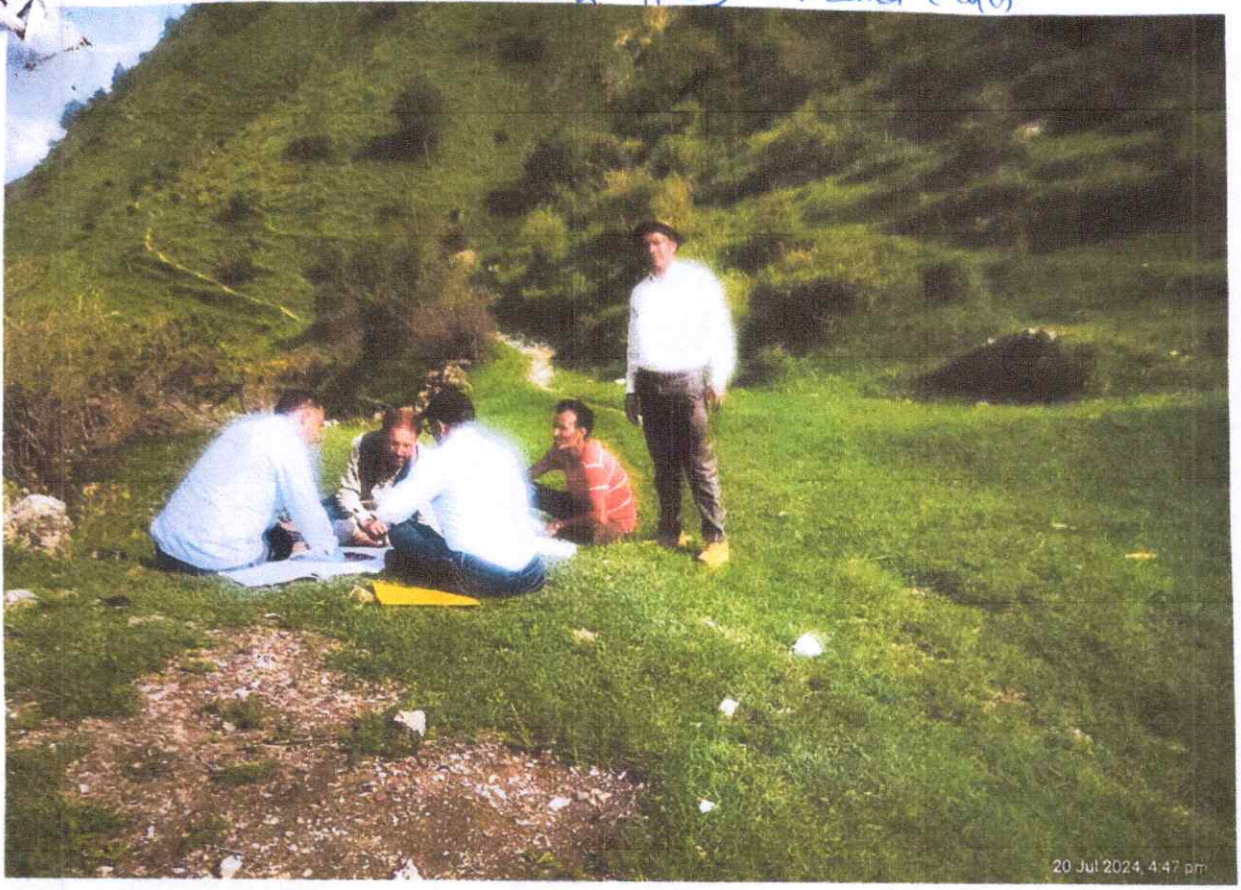

(अर्जुन सिंह सजवाण)
व.र.

व.र.

जया लाल शर्मा
रा०उ०नि० / थानाध्यक्ष
क्षेत्र लाखामण्डल
तह० चकराता (दे०दून)

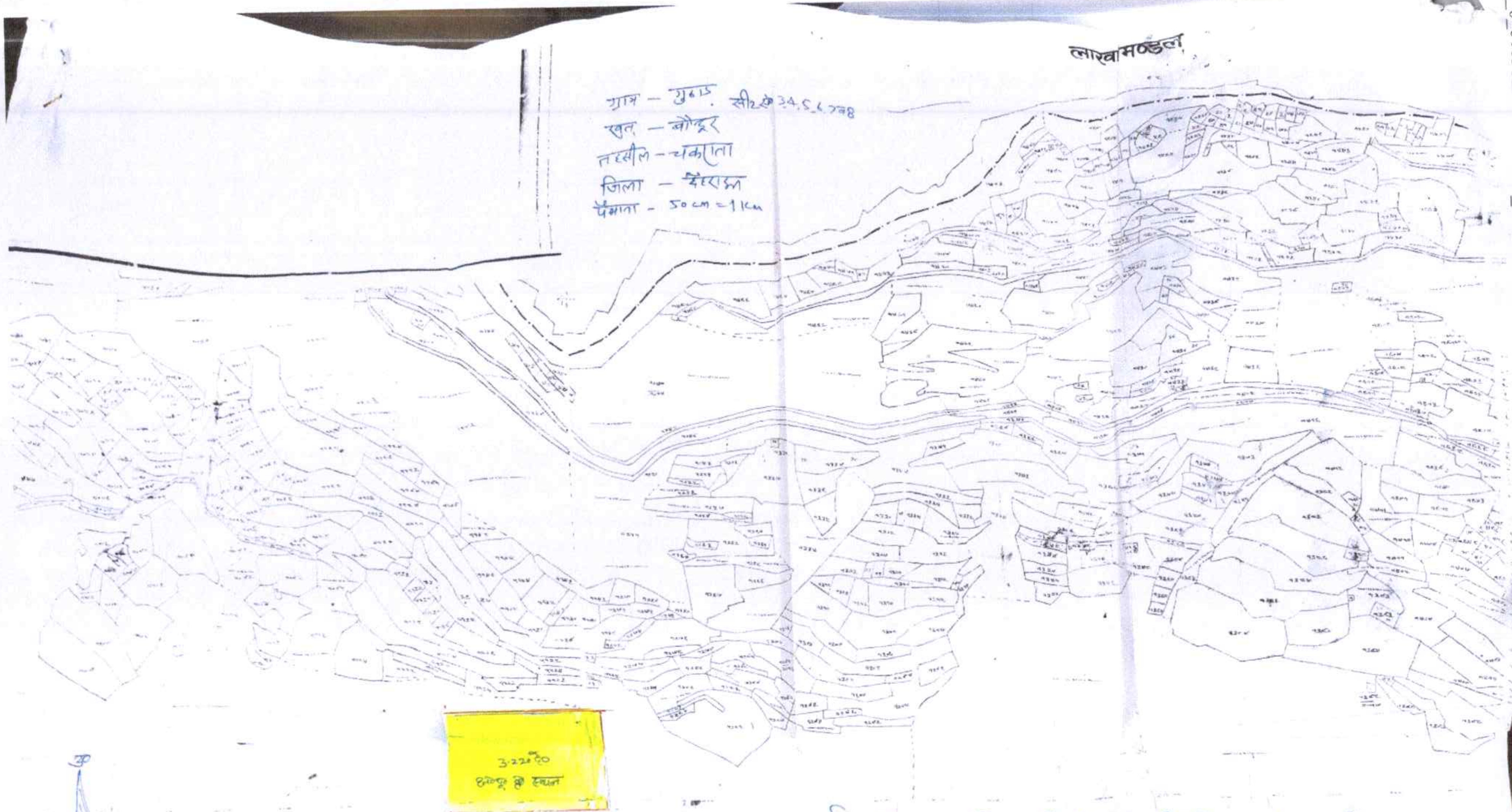

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भटेर-बाल्डोई मदरसी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.61 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने के बदले दुगनी अवनत सिविल भूमि 1.61x2=3.22 हे0 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल →

कुल क्षेत्रफल- 68.8600 में से 3.220 हे0 प्रस्तावित